न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

दिलीप कुमार बनाम लल्लूराम
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट
वाद संख्या– 02/10/2023

02.01.2023 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो विवादित आराजी हाल खाता संख्या 05 हाल आराजी खसरा संख्या 936/0.10, 937/0.33, 939/0.33 944/0.18, 952/0.06, 953/0.06 एवं खाता संख्या 06 खसरा संख्या 925/0.13, 936/1293/0.04, 937/1294/0.08 है0 वाके ग्राम ककराली रामपुरा तहसील टहला जिला अलवर में वादी को किसी भी तरह बेदखल करके कब्जा न करें न वादी के साथ कार्य काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत करें तथा आराजी को रहन बय द्वारा खुर्द बुर्द नही करें और ना ही कोई मुन्तकिली का दस्तावेज तहरीर कर प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यालय में दर्ज न करावे ना ही पंजीबद्व करें। एवं रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर जॉचना आवश्यक है–

(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व/कब्जा होना आवश्यक है।

(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।

(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिये।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का अभिलिखित काश्तकार है। अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को आराजी हाल खाता संख्या 05 हाल आराजी खसरा संख्या 936/0.10, 937/0.33, 939/0.33 944/0.18, 952/0.06, 953/0.06 एवं खाता संख्या 06 खसरा संख्या 925/0.13, 936/1293/0.04, 937/1294/0.08 है0 वाके ग्राम ककराली रामपुरा तहसील टहला जिला अलवर से प्रार्थी आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.02.2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थांई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा है कि **विवादित आराजी की आगामी तारीख पेशी तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।** अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 15.02.2023 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला–अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
30/7/24 ... 5/8/24 ... पेश हो 05/8/24 अवकाश PC पीठासीन अधिकारी ~~अन्य कार्यों में~~ व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 27.09.24 को पेश हो। रीडर 27/09/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 29/10/24 को पेश हो। रीडर 29/10/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 17/12/24 को पेश हो। रीडर 17/12/24 पत्रावली पेश। मूल वाद अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूल वाद के साथ संलग्न हो। SDO	